सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की 54वीं रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त राज्य मंत्री, डॉ बी. के. कराड द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY DR. B.K. KARAD, MINISTER OF STATE (FINANCE) IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 54TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2022-23), 17TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.

अगस्त, August, 2023

विषय- सूची			INDEX	
क्रम संख्या विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या	Sl No. Contents		Page No.
1. **डॉ** बी. के. कराड**, वित्त राज्य मंत्री** द्वारा वक्तव्य	i	1. Statement by Dr. B.K. Karad, Minister of State (Finance)		i
2. अनुबंध – दिनांक 23 मार्च, 2023 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति विभाग) की **2023-24 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की 54वीं रिपोर्ट** में सन्निहित सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट|	1-16	2. Annexure – Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 54th **Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2023-24** of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 23rd March, 2023.		17-28

डॉ बी. के. कराड, वित्त राज्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में
प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 के तहत दिनांक 24 सितंबर, 2004 को
सभापति, राज्य सभा के निर्देश के अनुसरण में
अनुदान की मांगों (2023-24)
के संबंध में वित्त से संबद्ध स्थायी समिति
(17वीं लोक सभा)
की 54वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
दिनांक 09.08.2023 को राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, माननीय सभापति, राज्य सभा के निर्देश के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 54वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं।

वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2023-24) की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की 54वीं रिपोर्ट दिनांक 23 मार्च, 2023 को राज्य सभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। समिति द्वारा यथार्थपरक बजटीय अनुमान तैयार करने, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), एनआईआईएफ, ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस, बीमा क्षेत्र, ऋण जमा अनुपात, विकेन्द्रीकृत प्रापण, विनिवेश, सीपीएसई की अचल संपत्तियों के विशेष प्रयोजन वाहन, सामाजिक क्षेत्र, गिफ्ट सिटी और राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) से संबंधित तेरह (13) सिफारिशें की गई थीं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा 54वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।

STATEMENT BY DR. B.K. KARAD, MINISTER OF STATE (FINANCE),,
IN THE RAJYA SABHA ON 09.08.2023
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE
54th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE
(17TH LOK SABHA)
ON DEMANDS FOR GRANTS (2023-24)
IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE CHAIRMAN, RAJYA SABHA
DATED 24TH SEPTEMBER, 2004 UNDER RULE 266 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES.

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises, and Investment and Public Asset Management in pursuance of the direction of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha.

The 54th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2023-24) of Ministry of Finance was presented on 23rd March, 2023 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made by the Committee pertaining to preparation of realistic budgetary estimates, Capital Expenditure(CAPEX), NIIF , Green Climate Finance, Insurance Sector, Credit Deposit Ratio, Decentralized Procurement, Disinvestment, Special Purpose Vehicle of Fixed Assets of CPSEs, Social Sector, GIFT City and National Financial Information Registry (NFIR) therein.

Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in its 54th Report is indicated in the Annexure.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

अनुबंध

वित्त मंत्रालय के संबंध में 23 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी वित्त संबंधी स्थायी समिति की 54वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1	**1**	**वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित मांग सख्या 32 की संवीक्षा करने पर समिति को बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय के बीच सह-संबंध स्थापित करना है। संशोधित अनुमान(2022-23) के लिए 6303.42 करोड़ रूपये की तुलना में, जो बजट अनुमान (2022-23) के लिए 7174.77 करोड़ रूपये से कम हो गया था, मंत्रालय द्वारा 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तवित व्यय सिर्फ 711.41 करोड़ रूपये था। इसके अलावा, बजट अनुमान(2023-24)1374.66 करोड़ रूपये है, यानी पिछले बजट अनुमान (2022-23) के लिए 7174.77 करोड़ रूपये से कम होकर 5800.11 करोड़ रूपये हो गया है। संशोधित अनुमान (2022-23) में परिवर्तन के लिए विभाग द्वारा बताए गए कुछेक कारण अर्थात बजट अनुमान(2022-23) की तुलना में 871.35 करोड़ रूपये की कमी जिसमें नाबार्ड की शेयर पूंजी के अंशदान में कमी, आंशिक ऋण गांरटी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई गांरटी को लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गांरटी योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बजट अनुमान (2022-23)की तुलना में बजट अनुमान(2023-24) में परिवर्तन के कुछ कारणों में नाबार्ड की शेयर पूंजी की अंशदान के लिए पर्याप्त निधियां, भारतीय निर्यात आयात बैंक की शेयर पूंजी की सदस्यता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का अशंदान, क्रेडिट**	वर्ष 2022-23 में इस विभाग का कुल बजट अनुमान 7,436.92 करोड़ रुपए तथा संशोधित अनुमान 6,303.42 करोड़ रुपए था जिसमें से 3,337.72 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी तथा शेष राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया था। व्यय में कमी, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्यत: निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत थी:- संस्था द्वारा पूंजी की आवश्यकता के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि एक्जिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि को जारी नहीं किया जाए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण के संबंध में 1361 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रायोजक बैंकों ने अपने शेयर का अंशदान नहीं किया था। समिति की यह सिफारिश कि नाबार्ड, एक्जिम बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा आवंटित निधि का कुशलतापूर्वक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, के मामले को विभाग के अंदर भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।	जी, हां।	----

		गांरटी निधि के लिए एनसीजीटीसी को वित्तीय सहायता आदि भी शामिल हैं। समिति यह बताना चाहती है कि विभाग के पास 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार अभी भी लगभग 5592.01 करोड़ रूपये यानी संशोधित अनुमान (2022-23) का 88.71% है, जो वित्तीय वर्ष के लिए केवल दो महीने शेष होने के साथ अप्रयुक्त है। समिति विभाग से यह सुनिश्चत करने का आग्रह करती है कि नाबार्ड, एक्जिम बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा आवंटित राशि का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए और विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अनवरत और दक्षतापूर्ण संवितरण किया जाए।			
2	2.	**समिति ने नोट किया है कि 02.02.2023 तक ₹ 7,50,246 करोड़ के ब.अ. (2022-23) में से, वास्तविक व्यय ₹ 5,93,099 करोड़ रहा है, अर्थात् संशोधित अनुमान वर्ष (2022-23) के ₹7,28,274 करोड़ में से ₹ 1,35,175 करोड़ की राशि शेष है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान ₹ 10,00,961 करोड़ रखा गया है, अर्थात, पिछले बजट अनुमान (2022-23) ₹ 7,50,246 करोड़ से ₹ 2,50,715 करोड़ अधिक है अर्थात पिछले बजट अनुमान की तुलना में कैपेक्स में 35.4% की तीव्र वृद्धि हुई है।** **समिति को यह समझाया गया है कि एक्सिस बैंक कैपेक्स रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पिछले दो बजटों में पूंजीगत व्यय पर जोर देने से वित्त वर्ष 2022 के बाद से निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आई है। इस संबंध में, समिति को लगता है कि आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ऐतिहासिक निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय डेटा की आवश्यकता है और इस प्रकार यह सिफारिश करती है कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए मंत्रालय को उद्योग और क्षेत्र द्वारा ऐतिहासिक निजी क्षेत्र के वैध पूंजीगत व्यय डेटा को एकत्र और प्रकाशित करना चाहिए। इसके अलावा, एमओएसपीआई या नीति आयोग को भविष्य के रुझानों को समझने के लिए उद्योग और क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय के निवेश इरादों पर दूरदर्शी सर्वेक्षण करना चाहिए। इस प्रकार के सर्वेक्षणों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय से जुड़े**	1. ब.अ. 2023-24 में पूंजीगत निवेश परिव्यय बढ़कर लगभग ₹10 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के ब.अ. में पूंजीगत परिव्यय से लगभग 33 प्रतिशत अधिक है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.3 प्रतिशत है और 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना है। हाल के वर्षों में यह पर्याप्त वृद्धि विकास क्षमता और रोजगार सृजन, निजी निवेश को बढ़ाने और वैश्विक प्रतिकूल चुनौतियों के लिए सुरक्षा प्रदान करना सरकार के प्रयासों का केंद्र है। 2. बजट अनुमान 2023-24 में लगभग ₹10 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में से, ₹1.30 लाख करोड़ का आवंटन राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान करने के लिए है। यह राज्य सरकारों को अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। शेष 8.7 लाख करोड़ रुपये का लगभग 90 प्रतिशत बड़े मुख्य अवसंरचना और कार्यनीतिक मंत्रालयों/विभागों जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, रक्षा, आवास (विशेष रूप से एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के लिए), दूरसंचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि के लिए है। 3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, पूंजी खाते पर किया गया वास्तविक व्यय वर्ष 2022-23 के ₹ 7,28,274 लाख करोड़ के सं.अ. के मुकाबले ₹ 7,36,319 लाख करोड़ (अनंतिम) है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, हितधारक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के उचित मूल्यांकन के बाद पूंजी आवंटन प्रदान किया गया है। इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि वास्तविक पूंजीगत व्यय आवंटन के अनुरूप होगा। 4. निजी उद्योग द्वारा पूंजीगत व्यय के ऐतिहासिक आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के पास **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी रिपोर्ट** के भाग के रूप में **'ग्रास केपीटल फोर्मेशन बाई इंडस्ट्री ऑफ यूज' और जीएफसीएफ बाई**	सरकार ने बजटीय पूंजीगत परिव्यय के कुशल उपयोग के संबंध में सिफारिश स्वीकार कर ली है।	सरकार बजटीय पूंजीगत परिव्यय का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है। एमओएसपीआई निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के ऐतिहासिक आंकड़े

		उपकरण, रियल एस्टेट और कार्यबल की आवश्यकता के लिए बेहतर तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। **इसके अलावा, समिति की इच्छा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूंजीगत व्यय के लिए अलग से निर्धारित बजट आवंटन केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा कुशलता से किया जाए, क्योंकि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। समिति का मानना है कि पूंजीगत व्यय में उछाल से विकास के उद्देश्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, रोजगार सृजन होगा और वैश्विक चुनौतियों के विरूद्ध सुरक्षा के तौर पर एक प्राथमिक इंजन के रूप में खपत को बढ़ावा देगा और अर्थव्यवस्था को एक अच्छे विकास चक्र में ले जाएगा।**	**टाईप ऑफ एसेट, बाई इंडस्ट्री-प्राइवेट कारपोरेशन** शीर्षक के अतर्गत उपलब्ध है ये आंकड़े वर्ष में एक बार प्रकाशित होते है (ऐतिहासिक रूप से वित्त वर्ष 2021-22 तक उपलब्ध है) और एमओएसपीआई की बेवसाइट- https://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2023 से डाउनलोड किए जा सकते है। ये आंकड़े एमओएसपीआई द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और इनका उपयोग निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।		वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है, जैसा कि कॉलम 4 में दर्शाया गया हैं। निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय के आंकड़ों की अगली अद्यतित स्थिति एमओएसपीआई से उनकी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के भाग के रूप में 2024 में ही उपलब्ध हो सकेगा।
3	3	**राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ)** **समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) सेबी नियमों के तहत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में स्थापित एक फंड मैनेजर है। यह घरेलू आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में इक्विटी पूंजी निवेश करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और इसमें राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (मास्टर फंड "एनआईआईएफ एमएफ"), राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (फंड ऑफ फंड्स-I "एनआईआईएफ एफओएफ") और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि-II (रणनीतिक अवसर निधि "एसओएफ") तीन प्रकार के फंड हैं। समिति ने पाया है कि एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स-I में,** 3862 **करोड़ रुपये के फंड की पोर्टफोलियो प्रतिबद्धताओं में से** 2215 **करोड़ रुपये पहले ही लगाए जा चुके हैं। समिति यह चाहती है कि एनआईआईएफ के मास्टर फंड के प्रदर्शन को**	एनआईआईएफ की स्थापना मुख्य रूप से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करने के उद्देश्य से की गई थी, जबकि यदि व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो, अन्य राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा था। एनआईआईएफ मास्टर फंड ने बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय प्लेटफॉर्म, सड़क, स्मार्ट मीटर, डेटा सेंटर जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म बनाए हैं और हाल ही में हवाई अड्डों के क्षेत्र में भी निवेश किया है। दिसंबर **2020** में अपने अंतिम समापन के बाद मास्टर फंड का ध्यान वर्तमान में प्रतिबद्ध फंडों को समय पर लगाना सुनिश्चित करने पर है। जहां तक भारत के लिए एयरक्राफ्ट लीजिंग हब के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास को सुविधाजनक बनाने में एनआईआईएफ की भूमिका का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग वित्तीय सेवाओं का एक बहुत ही विशिष्ट और विशिष्ट डोमेन है। ऐसी विशिष्ट वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए इस पारिस्थितिकी तंत्र की गहन समझ, इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पेशेवरों की एक समर्पित टीम और इससे जुड़े जोखिमों पर स्पष्टता की आवश्यकता होती है। भारत के बुनियादी ढांचे और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर उत्प्रेरक निजी क्षेत्र के वित्तपोषण को सक्षम करना एनआईआईएफ का प्राथमिक उद्देश्य है। किसी वित्तीय सेवा को विमान पट्टे पर देने की विशिष्टताओं और भारतीय संदर्भ में इसके विकास के शुरुआती चरण	जैसा कि पिछले कॉलम में स्पष्ट किया गया है, अभी तक एनआईआईएफ के माध्यम से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।	

		बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि 31 **दिसंबर**,2022 **तक**, **केवल** 4177 **करोड़ रुपये लगाए गए हैं, जबकि फंड और फंड की पोर्टफोलियो प्रतिबद्धताओं के लिए निवेशक प्रतिबद्धताएं क्रमशः** 15998 **करोड़ रुपये और** 9653 **करोड़ रुपये हैं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है, कि एनआईआईएफ की अर्थव्यवस्था निर्माण में एक आवश्यक भूमिका है, जिसका उद्देश्य स्थायी आधार पर निवेशकों के लिए आकर्षक दीर्घकालिक जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करना और अवसंरचना विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना है। उस उद्देश्य के लिए, एनआईआईएफ भारत के लिए एक एयरक्राफ्ट लीजिंग के केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।**	को देखते हुए, अभी तक एनआईआईएफ के माध्यम से इसमें निवेश पर विचार नहीं किया गया है।		
4	4	**"समिति का मानना है कि हरित जलवायु वित्तपोषण समय की मांग है और हरित वित्त के वर्गीकरण पर स्पष्टता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि 'हरित विकास' सरकार की आर्थिक संकल्पना का एक प्रमुख स्तंभ है। समिति की इच्छा है कि वित्तीय संस्थानों द्वारा हरित वित्तपोषण और जलवायु निवेश के क्षेत्र में मिश्रित वित्त साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मिश्रित वित्त में उच्च जोखिम वाली, लंबी अवधि की परियोजनाओं में निजी वित्त को उत्प्रेरित करने की क्षमता है। इसके अलावा, समिति यह समझती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) संधारणीय वित्त और जलवायु वित्त पर जारी किए जाने वाले मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधारणीयता मानक बोर्डों (आईएसएसबी) के साथ बातचीत कर रहे हैं। समिति समझती है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी संधारणीयता हेतु सहायता के लिए समर्थन देना होगा, जो वित्तीय रूप से कमजोर एमएसएमई पर बहुत अधिक दायित्व हो सकता है। इसलिए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि आरबीआई और सेबी को आईएसएसबी के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रासंगिक मुद्दों को आईएसएसबी द्वारा चिह्नित किया जा**	1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 26 जून, 2023 को आईएसएसबी ने अपने दो स्थिरता प्रकटीकरण मानक जारी किए हैं: क. आईएफआरएस एस1 संधारणीयता से संबंधित वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित सामान्य अपेक्षाएँ और ख. आईएफआरएस एस2 जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण 2. इन मानकों को जारी किए जाने से पहले आरबीआई और सेबी दोनों ने आईएसएसबी के साथ प्रभावी विचार-विमर्श किया है और भारत सहित उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया है। इसलिए, ईएमडीई के सुझावों पर आईएसएसबी द्वारा नवीनतम प्रकटीकरण मानक दस्तावेजों में मोटे तौर पर अनुकूल विचार किया गया है। 3. सेबी ने आईओएससीओ सहित विभिन्न मंचों पर इन मुद्दों को उठाया है और इस बात पर जोर दिया है कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार में आईएसएसबी मानकों के दायरे और प्रयोज्यता को तय करने में लचीलापन होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक निश्चित आकार से ऊपर और अपेक्षित क्षमताओं वाली संस्थाओं के लिए दायित्व निर्धारण संभव हो सके। 4. इस प्रकार, आईएसएसबी ने अंतिम मानकों को अधिसूचित करते हुए "आनुपातिकता" और "परिवर्तन राहत" के कतिपय घटकों को शामिल किया है। प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त सेबी ने कथित तौर पर उल्लेख किया है कि आईएसएसबी अनंतिम रूप से नवंबर 2023 तक अभिग्रहण मार्गदर्शन जारी करेगा, जिसमें क्षेत्राधिकारों द्वारा उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर मानकों का अभिग्रहण करने पर अतिरिक्त	सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और वह नियामकों से आईएसएसबी के साथ सकारात्मक संबंध जारी रखने के लिए कहेगी ताकि अंगीकरण संबंधी मार्गनिर्देशों का सर्वोत्तम लाभ उठाया जा सके।	

		सके और संधारणीय वित्त और जलवायु वित्त के लिए मानकों को तैयार करते समय इस पर ध्यान दिया जा सके।	लचीलापन दिया जाएगा। यह उल्लेख किया जाता है कि आईएसएसबी मानकों को अपनाने के लिए समर्थन हेतु क्षेत्राधिकारों और कंपनियों के साथ कार्य भी करेगा। 5. आरबीआई ने कथित तौर पर उल्लेख किया है कि आईएसएसबी ने विशिष्ट आनुपातिकता तंत्र पेश किया हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: क. किसी कंपनी के कौशल, क्षमताओं और संसाधनों का पर विचार करना। ख. सभी तर्कसंगत और समर्थन योग्य सूचनाओं का उपयोग जो सूचना प्राप्ति की तारीख तक कुछ स्थितियों में अनुचित लागत और श्रम के बिना कंपनी के पास उपलब्ध है। 6. सेबी ने संधारणीय वित्त की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं: क. "ग्रीन डेट सिक्योरिटीज" की परिभाषा सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 में निर्धारित की गई है, जिसमें ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड और ट्रांजिशन बॉन्ड शामिल हैं। ख. सेबी द्वारा फरवरी, 2023 में इस तरह के निर्गमों के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाओं को संशोधित किया गया है। ग. इसके अलावा, ग्रीनवाशिंग (किसी उत्पाद, सेवा या व्यवसाय संचालन की स्थिरता के बारे में भ्रामक या निराधार दावे) के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की चिंताओं को दूर करने के लिए, ग्रीनवाशिंग की घटनाओं से बचने के लिए ग्रीन डेट (हरित ऋण) प्रतिभूतियों से संबंधित दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। घ. सेबी ने हाल ही में 'ट्रांजिशन बांड' जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों पर और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण के लिए अतिरिक्त मानदंड निर्धारित किए हैं। यह भारत के अभीष्ट राष्ट्रीय संकल्प संबंधी निर्धारित योगदान के अनुरूप है, जिससे अधिक संधारणीय प्रचालन का ढ़ांचा बनाया जा सकेगा।		
5	5	**समिति सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित है, क्योंकि मोटर और स्वास्थ्य पोर्टफोलियो सहित लाभकारी व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, उपयोग में नहीं आने वाली वाणिज्यिक और आवासीय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, आईटी प्रणालियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, पूंजी निवेश आदि जैसे उपाय करने के बावजूद वांछित परिणाम सामने आते दिख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख**	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों नामत: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे अपने खर्चों को कम करने, अपनी हामीदारी पद्धति को बेहतर बनाने आदि। इन प्रयासों के कारण निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव पड़ा है:	जी, हां।	

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) नामतः नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शोधन क्षमता अभी भी अच्छी नहीं है।</td>
<td>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विवरण</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नियंत्रण किए जाने वाले व्यय में कमी करके प्रबंधन व्यय में कमी</td><td>वित्तीय वर्ष 22-23: 20.3%
वित्तीय वर्ष 21-22: 26.6%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संयुक्त अनुपात में कमी</td><td>वित्तीय वर्ष 22-23: 128.8%
वित्तीय वर्ष 21-22: 138.1%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हामीदारी परिणाम में सुधार</td><td>वित्तीय वर्ष 22-23: -12,100 करोड़
वित्तीय वर्ष 21-22: -14,055 करोड़</td></tr>
<tr><td>4</td><td>हानि में कमी</td><td>वित्तीय वर्ष 22-23: -3,731 करोड़
वित्तीय वर्ष 21-22: -6,926 करोड़</td></tr>
</table>
टिप्पणी: वेतन संशोधन के प्रभाव के बिना
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>समिति इस बात से चिंतित है कि नई कर व्यवस्था में स्लैब और दरों में बदलाव के साथ, देश में जीवन बीमा की पहुंच में गिरावट आ सकती है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जीवन बीमा उत्पादों में कर बचत साधनों के रूप में निवेश करता है, जो अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य/निवेश निधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। समिति बीमा क्षेत्र को खोलने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन करने का भी आग्रह करती है, ताकि यदि जरूरी हो, तो बीमा क्षेत्र को शासित करने वाले अधिनियम में कोई भी बदलाव किया जा सके।</td>
<td>बजट घोषणा 2023 के अनुसार, परंपरागत बीमा पॉलिसियों, जिनका एकल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है, को कर से छूट नहीं मिलेगी। इससे अधिकाधिक लोग केवल जोखिम कवर जैसी सावधि योजना खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो अत्यंत किफायती है तथा विकट परिस्थितयों में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। इससे बीमा क्षेत्र में नवोन्मेष तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बीमाकर्ताओं को पुराने ग्राहक को बनाए रखने तथा नए को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रभावी तथा ग्राहकोन्नमुखी उत्पाद का प्रस्ताव करना होगा।

बीमा क्षेत्र को खोले जाने के प्रभाव के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2000 में इस क्षेत्र को निजी तथा विदेशी निवेश के लिए खोले जाने के बाद से बीमा उद्योग में भागीदारों की संख्या 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 7 बीमाकर्ताओं से बढ़कर 68 बीमाकर्ता हो गयी है, जो जीवन, साधारण तथा पुनर्बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं। बीमा विस्तार, जो वर्ष 2001 में 2.71% था धीरे-धीरे बढ़कर 4.2% हो गया और भारत में बीमा का फैलाव जो वर्ष 2001 में 11.5 यूएसडी था वर्ष 2021 में बढ़कर 91 यूएसडी हो गया। भारतीय बीमा क्षेत्र में प्राप्त प्रीमियम की राशि जो वर्ष 2013-14 में 3.94 लाख करोड़ रुपये थी वर्ष 2021-22 में बढ़कर 9.17 लाख करोड़ रुपये हो गयी। (स्रोत: इरडाई)

इसके अलावा, सरकार ने विशेष रूप से देश के अल्पसेवित तथा असेवित लोगों को कवर करने, बीमा क्षेत्र की वृद्धि में सहायता करने तथा बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, दिनांक 14.6.2023 की स्थिति के अनुसार, विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा</td>
<td>जी, हां।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

			बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), जिसमें लगभग 16.57 करोड़ जीवन को कवर किया गया तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जिसमें लगभग 34.97 करोड़ जीवन को कवर किया गया। बीमा सुरक्षा तथा कवरेज में कमी को पूरा करने के लिए और देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को बीमा उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्र लोगों की कवरेज को अधिकतम बनाने के लिए मिशन पद्धति में प्रयास किए जा रहे हैं। बीमा विनियामक, इरडाई भी वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा को बढ़ावा देने के लिए एक नई विनियामकीय अवसंरचना सृजित करने हेतु सुधार करने जा रहा है, जिसमें सार्वभौम बीमा कवरेज के साथ समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है।		
7	7	**समिति पाती है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) घट रही हैं और कम एनपीए अनुपात और अधिक सुदृढ़ कॉर्पोरेट सेक्टर फंडामेंटस के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली उत्पादक निवेश के अवसरों में बैंक क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाना जारी रखेगी। तथापि, समिति पाती है कि समिति को उपलब्ध कराए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े देश भर में असमान ऋण संवितरण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अधिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम भू-भाग वाले राज्य/क्षेत्र बैंक ऋण की उपलब्धता और विस्तार में पिछड़ रहे हैं। समिति आग्रह करती है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतियों और नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इस अंतर को दूर किया जा सके।**	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर उनकी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के लिए अलग से 60% का ऋण जमा अनुपात (सीडी) प्राप्त करने की सलाह दी है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऋण विनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच के अनुपात में आने वाली व्यापक असमानता को समाप्त करे और बैंक ऐसे क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें और ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके अलावा, जिले का अग्रणी बैंक बैंकों के साथ अपने सभी पहलुओं में कम सीडी अनुपात के मुद्दे पर और जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के फोरम में भी चर्चा कर सकता है। डीसीसी की विशेष उप-समितियों (एसएससी) को 40% से कम ऋण- जमा अनुपात वाले जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए और डीसीसी को तिमाही आधार पर तथा उनके माध्यम से राज्य स्तर के संयोजक को योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की सूचना देनी चाहिए। आरबीआई के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए वर्ष 2020 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए जिला-वार प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह का अध्ययन किया गया था और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 से एक प्रोत्साहन ढांचा तैयार किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों का रैंक निर्धारित किया गया था और तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा बनाया गया था और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए निरूत्साहन संरचना तैयार की गयी। 4 सितंबर, 2020 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के मास्टर निदेशों के लक्ष्य और वर्गीकरण के संदर्भ में, उन अभिचिन्हित जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को अधिक महत्व (125%) दिया गया है, जहां ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति पीएसएल 6000 रुपए से कम) और उन	जी, हां।	

			अभिचिह्नित जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए कम महत्व (90%) दिया गया है जहां ऋण का प्रवाह तुलनात्मक रूप से (प्रति व्यक्ति पीएसएल 25,000 रुपए से अधिक) अधिक है।		
8	8	**समिति ने पाया है कि खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद में खाद्य सब्सिडी के लिए केंद्रीय निधि अंतरण कुछ राज्यों के लिए एक परेशानी का विषय है। समिति चाहती है कि ऐसे संवितरण मुद्दों का समाधान किया जाए ताकि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्यों को धन का निर्बाध प्रवाह बना रहे।**	**खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की टिप्पणियाँ:** डीएफपीडी ने सभी डीसीपी राज्यों को लगातार स्वीकार्य खाद्य सब्सिडी जारी की है। राज्य सरकारें टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए तिमाही आधार पर खाद्य सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करती हैं। राज्य सरकारों के अनंतिम त्रैमासिक दावों पर अन्य बातों के अलावा प्रचलित दिशानिर्देशों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत और निरन्तर प्रक्रिया है और भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सभी डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी की त्रैमासिक स्वीकार्य राशि लगातार जारी कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित 79,789.54 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में पीएमजीकेएवाई सहित 72,282.50 करोड़ रुपये की सभी डीसीपी राज्यों को सब्सिडी जारी की गई।	लागू नहीं	यह एक सामान्य टिप्पणी है और यह कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं है। डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी के लिए निधि नियमित रूप से जारी की जा रही है। हालाँकि, यदि कोई मुद्दा होता है, तो उसका राज्य सरकार के परामर्श से विभाग द्वारा परस्पर सम्मति से नियमित रूप से हल किया जाता है।
9	**9**	**समिति वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 13,534 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्तियों और वित्त वर्ष 2022-23 के 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 31,107 करोड़ रूपयों (10.02.2023 तक) की प्राप्तियों को नोट करती है। समिति को सूचित किया गया है कि लक्ष्य और उपलब्धि के बीच अंतर विनिवेश की प्रकृति में अंतर्निहित है जो बाजार की स्थितियों पर निर्भर होती है। समिति अस्थिर बाजार की स्थितियों में**	**विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और विशिष्ट लेनदेन का निष्पादन/समापन बाजार की स्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक संभावना, भू-राजनीतिक कारकों, निवेशकों की रुचि और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। बहुत ऊंचे लक्ष्य से पीएसयू के शेयरों की कीमतें ओवरहैंग हो जाती हैं, इसलिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान, बहुत अस्थिर बाजार की स्थितियों को देखते हुए, लक्ष्यों को उत्तरोत्तर कम करके अधिक व्यावहारिक स्तर पर लाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई के विनिवेश से 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य/संशोधित अनुमान के मुकाबले 35,293.52 करोड़ रुपये (31.03.2023 तक) की प्राप्तियां हुईं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीपीएसई से विनिवेश प्राप्तियों का बजट अनुमान 51,000 करोड़ रुपये रखा गया है।**	**स्वीकृत**	

		कम किए गए लक्ष्यों का संज्ञान लेती है जो अधिक प्राप्य हैं।			
10	10	**समिति को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) की अचल परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का निगमन किया गया है। समिति चाहती है कि विशेष प्रयोजन वाहन के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच भूमि के बाजार मूल्य का आकलन किया जाए। समिति महसूस करती है कि सरकार की इन महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के मूल्य की समझ होना आवश्यक है, क्योंकि इनमें बड़े मुद्रीकरण के अवसर निहित हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि भूमि को केवल भूमि मूल्य के लिए निपटान के बजाय भूमि को विकसित करने के बाद अधिक लागत पर भूमि को बेचा जाए, क्योंकि वर्तमान राजकोषीय स्थिति और सरकार के पास मौजूद महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व को देखते हुए संवर्द्धित मूल्य में अर्थव्यवस्था की सहायता करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, समिति की इच्छा है कि परस्पर विरोधी भूमि स्वामित्व के संबंध में राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान निकाले जाएं और विशेष प्रयोजन वाहन का कुशल तरीके से उपयोग किया जाए।**	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा वर्ष 2016 में ऑनलाइन भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसे सरकारी भूमि सूची प्रणाली (जीएलआईएस) के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभी भू-स्वामित्व एजेंसियों मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू की भूमि का विवरण/डाटा अपलोड किया जाता है। यह तंत्र उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास मौजूद भूमि स्वामित्व के संबंध में प्रासंगिक सूचना एकत्र करता है। इसके अलावा, सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष और अप्रयुक्त गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य करने के लिए जून 2022 में 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) की स्थापना की है। एनएलएमसी को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय विभाग की सिफारिशों पर इस प्रकार का मुद्रीकरण करना अपेक्षित है। सिफारिश पर, तकनीकी सलाहकार / परामर्शदाता / विशेषज्ञ संपत्ति मालिक सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से परिसंपत्तियों के संबंध में सम्यक तत्परता बरतेंगे। प्राप्त फीडबैक, संदर्भित भूमि/परिसंपत्ति की प्रकृति, मुद्रीकरण का उपयुक्त मॉडल के आधार पर और तदनुसार इसका मूल्यांकन किया जाएगा। अंततः, वैकल्पिक तंत्र (एएम) जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल हैं, मुद्रीकरण के उचित मॉडल और इसके मुद्रीकरण के लिए मूल्यांकन तय करेंगे। मुद्रीकरण के लिए एनएलएमसी को भेजी गई परिसंपत्तियों के संबंध में, एनएलएमसी आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों/एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के साथ निकटता से समन्वय करेगा।	आंशिक रूप से स्वीकार किया गया	समिति का एक सुझाव है कि केवल भूमि मूल्य पर निपटान करने के बजाय भूमि को विकसित करने के बाद अधिक मूल्य पर भूमि को बेचा जाए। यह प्रत्येक भूमि पार्सल के संबंध में व्यवहार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भूमि को खरीदार या रियायतग्राही द्वारा भी विकसित किया जा सकता है।
11	**11**	**"सामाजिक क्षेत्र: समिति भारत में सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण में सुधार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देना चाहेगी। समिति का यह विचार है कि भारत में सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण में सुधार के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकारी नीतियां, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हो। समिति का यह मानना है कि भारत के सामाजिक क्षेत्र में प्रभावशाली निवेश को प्रोत्साहित करने, सामाजिक क्षेत्र की पहल के लिए क्राउडफंडिंग, अधिकाधिक कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)**	**सामाजिक क्षेत्र के लिए सीएसआर फंड** क) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है, या कुल कारोबार ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक का है, या जिसने ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का निवल लाभ अर्जित किया है, को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार भूख, गरीबी और कुपोषण के उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने आदि पर अनिवार्यतः खर्च करना पड़ेगा।	जी, हां।	--

और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करने जैसी रणनीतियों को अपनाने के साथ-साथ सरकारी खर्च में वृद्धि से अधिक सहायता निधि प्राप्त की जा सकेगी, देश नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक वित्त जुटाया जा सकेगा।"

ख) चूंकि कानून ने अप्रैल 2014 से उन कंपनियों के लिए सीएसआर को अनिवार्य कर दिया है। जिन्होंने वर्ष 2020-21 तक सीएसआर पर करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान सीएसआर में योगदान करने वाली कंपनियों की संख्या के साथ-साथ उनके वार्षिक सीएसआर व्यय में वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि कुछ कंपनियां अपने अनिवार्य दो प्रतिशत दायित्व से अधिक योगदान कर रही हैं, और इस प्रकार उन्होंने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्रिय भाग लिया है। कोविड -19 महामारी की अवधि के दौरान, कई कंपनियों ने उदारतापूर्वक योगदान किया है और समुदाय के साथ जुड़े रहें।

ग) इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिकाधिक कंपनियों को सीएसआर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और व्यापार व समाज दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली कंपनियों की उत्कृष्ट सीएसआर पहलों को मान्यता देने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कारों की शुरूआत की है ताकि कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके, उनकी सीएसआर गतिविधियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी गतिविधियों का लाभ समाज के सीमांत वर्गों तथा देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच सके। इस योजना के तहत, कंपनियों को तीन व्यापक श्रेणियों में बीस पुरस्कार (विजेता और प्रतिष्ठित) अर्थात सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉरपोरेट पुरस्कार, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर में कॉर्पोरेट पुरस्कार और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास आदि जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के आधार पर कॉरपोरेट पुरस्कार दिए जाते हैं।

सामाजिक क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन

घ) सामाजिक क्षेत्र से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को बजटीय आबंटन प्रत्येक वर्ष अक्तूबर-नवम्बर में वित्त मंत्रालय के साथ बजट-पूर्व चर्चाओं के दौरान उनकी प्रत्येक योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श पर आधारित होता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजट आवंटित करते समय संबंधित मंत्रालय/विभाग की अंतर्लीन करने की क्षमता और सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों, जो विकास के प्रमुख सामाजिक संकेतक हैं, के लिए आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	शिक्षा	94854	99312	93224	104278	112899

2	ऊर्जा	44638	42725	42824	49220	94915
3	स्वास्थ्य	64999	67484	74602	86606	88956
4	ग्रामीण विकास	140762	144817	194633	206293	238204
5	समाज कल्याण	50850	53876	48460	51780	55080
6	परिवहन	157437	169637	233083	351851	517034
7	शहरी विकास	48032	50040	54581	76549	76432

स्रोत: बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में आवंटन का विवरण पिछले पांच वर्षों में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है, सिर्फ एक या दो क्षेत्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 और 2021-22 के दौरान अपने आवंटन में मामूली कमी दिखाई है।

ड.) बजट 2023-24 में घोषित उपाय

- बजट 2023-24 में "समावेशी विकास" प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है और इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को शामिल किया गया है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि क्षेत्र के लिए कई पहलें शामिल हैं (जैसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; कृषि त्वरक निधि; कपास की फसल और बागवानी पर ध्यान देना; भारत को बाजरा का वैश्विक केंद्र बनाना; कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि आदि; कौशल, स्वास्थ्य और शिक्षा)।
- बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने और सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को परिसंतुष्ट करने के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय भी 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है।
- इसके अलावा, यह स्वीकार करते हुए कि अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर एक बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है, पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना होगा। हाल के वर्षों में इस पर्याप्त

			वृद्धि से विकास क्षमता और रोजगार सृजन को बढ़ाने, निजी निवेश बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। **अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थानों से वित्त पोषण** च) भारत, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में तत्परतापूर्वक शामिल हुआ है और भागीदारी कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों में सामाजिक अवसंरचना के विकास सहित स्थायी अवसंरचना के लिए भारत को उल्लेखनीय वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। छ) भारत आईएफएडी की शासी परिषद और कार्यकारी बोर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आईएफएडी से निधि प्राप्त करने में सफल रहा है जिसमें हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाएं जैसे ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण और सूक्ष्म वित्त शामिल हैं। वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और ग्रामीण वित्त क्षेत्र से संबंधित 32 परियोजनाओं में सहायता की है। इनमें से 26 परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं. वर्तमान में, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़ राज्य में 408.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग) की कुल आईएफएडी सहायता वाली 6 परियोजनाएं जिनकी कुल प्रतिबद्धता 1,507.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग) है (अर्थात, आईएफएडी की सहायता और राज्य की समकक्ष निधि) कार्यान्वयनाधीन हैं। ज) भारत सरकार भारत में सामाजिक अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एआईआईबी और एनडीबी से अधिक वित्त भी जुटा रही है। हालिया वैश्विक महामारी के दौरान, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए एनडीबी से दो सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 2000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्राप्त की है। दोनों परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तरदायी भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रम बनाने और कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता के लिए सामाजिक क्षेत्र निवेश परियोजनाओं के तहत एआईआईबी से 2250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (04 परियोजनाएं) की बजटीय सहायता भी प्राप्त की है। इनमें से दो परियोजनाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं और दो परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, एआईआईबी ने गुजरात में प्रौद्योगिकी और शिक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2022 में 500 मिलियन की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है।		

			व्यवहार्यता अंतर निधियन झ) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परंतु; लेकिन सामाजिक/आर्थिक रूप से वांछनीय पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं को पूंजी व्यय का 40 प्रतिशत तक वीजीएफ अनुदान के रूप में मिल सकता है। वीजीएफ योजना में सामाजिक क्षेत्रों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि के लिए वीजीएफ अनुदान हेतु अधिक प्रावधान शामिल हैं। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वीजीएफ अनुदान के रूप में वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद 5 वर्षों के लिए पूंजी व्यय का 80 प्रतिशत और परिचालन व्यय का 50 प्रतिशत तक मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों के अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर निधियन अनुदान मिलता है: • **उपयोजना-**1 अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों की आवश्कताओं की पूर्ति करना। इस श्रेणी की पात्र परियोजनाओं में कम से कम 100 प्रतिशत प्रचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार परियोजना के पूंजीगत व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत वीजीएफ के रूप में प्रदान करेगी और राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/वैधानिक संस्थान पूंजीगत व्यय के 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। • **उपयोजना-**2 निदर्शन सामाजिक क्षेत्रों की पायलट परियोजनाओं का समर्थन करती है। परियोजनाएं स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती हैं। इन पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत प्रचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार वीएफजी के रूप में वाणिज्यिक संचालन के पहले पांच वर्षों के लिए परियोजना के पूंजीगत व्यय का अधिकतम 40 प्रतिशत और परियोजना के ओपेक्स (प्रचालन व्यय) का अधिकतम 25 प्रतिशत प्रदान करेगी। राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक इकाई वाणिज्यिक प्रचालन के पहले पांच वर्षों के लिए परियोजना के पूंजीगत व्यय के 40 प्रतिशत और परियोजना के ओपेक्स के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है।		
12	**12**	**कमिटी ने नोट किया कि गिफ्ट आईएफएससी में व्यापारिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न उपाय किए हैं। समिति का मानना है कि गिफ्ट सिटी की सफलता व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समर्थित वातावरण बनाने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करती है। समिति का मानना है कि विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास और व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, विनियामक कार्यढांचा स्थापित करना आवश्यक है जो समझने**	गिफ्ट सिटी के संबंध में माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में की गई बिंदुवार कार्रवाई निम्नानुसार देखी जा सकती है - क. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना दिनांक 27 अप्रैल, 2020 से भारत सरकार द्वारा आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसके पश्चात, दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से, इसने भारत में आईएफएससी में वित्तीय बाजारों को विकसित और विनियमित करने के लिए चार घरेलू नियामकों अर्थात् सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की शक्तियों को स्वीकार किया।	स्वीकार किया गया।	लागू नहीं।

		और अनुपालन करने में आसान है; आक्रामक रूप से विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और व्यवसायों के लिए बाजार गिफ्ट सिटी; सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और इसके विकास का समर्थन करने के लिए गिफ्ट सिटी में काम करने के लिए आवश्यक कौशल सहित स्थानीय कार्यबल विकसित करना। समिति को विश्वास है कि गिफ्ट सिटी, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए जीवंत वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की क्षमता है, हमारी विकास गाथा में प्रमुख तरीके से योगदान देगा। भारत की एयरलाइनों द्वारा किए जा रहे बड़े विमान के आदेश सहित, गिफ्ट सिटी के पास भारत के विमान लीजिंग केन्द्र के रूप में उभरने का शानदार अवसर है।	पिछले तीन वर्षों में, आईएफएससीए ने आईएफएससी के लिए विनियामक संरचना विकसित करने का प्रयास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है और वर्धित अनुपालन के लिए समझने में भी आसानी है। आईएफएससीए ने अपनी स्थापना के बाद से बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, बुलियन, निधि उद्योग, वैश्विक आंतरिक केन्द्रों, विदेशी विश्वविद्यालयों/विदेशी संस्थानों आदि को विनियमित करने के लिए आईएफएससीए के अंतर्गत 27 विनियम तैयार किए हैं। आईएफएससीए भारत में आईएफएससी के लिए एकीकृत प्राधिकरण होने के नाते, बीमा, निधि उद्योग, पूंजी बाजार आदि से संबंधित घरेलू नियमों का काफी हद तक समेकन किया है, जो भारतीय नियामक संरचना में अद्वितीय है। उदाहरण के लिए, आईएफएससीए ने आईएफएससी में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए 13 विनियमनों में घरेलू विनियामक कार्यढांचे से संबंधित लगभग 40 आईआरडीएआई विनियमनों का समेकन किया है। इसी प्रकार, आईएफएससीए के निधि प्रबंधन विनियमन एआईएफ, म्यूचुअल फंड, आरईआईटी, इनविट, पीएमएस आदि से संबंधित सेबी के विनियमन के समेकन को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के अभिनवव आईएफएससी में व्यवसाय की सहायता और मदद करने हेतु आईएफएससीए ने सहायक सेवाओं, फिनटेक क्षेत्र, विमान और जहाज लीजिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवाओं, संधारणीय वित्त, एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों आदि के लिए कार्यढांचे भी जारी किए हैं। ख. आईएफएससी प्राधिकरण ने वैश्विक और घरेलू वित्तीय सेवा उद्योग के साथ विभिन्न आउटरीच और सम्बद्धता गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक विकास विभाग की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, जीआईएफटी कंपनी लिमिटेड, जो आईएफएससी ज़ोन सहित जीआईएफटी सिटी की डेवलपर है, वैश्विक आउटरीच और सम्बद्धता गतिविधियों का भी समर्थन कर रही है। द्विपक्षीय बैठकें, रोड-शो, गोलमेज बातचीत, वेबिनार, सेमिनार, सम्मेलन आदि सहित आउटरीच और सम्बद्धता गतिविधियां आईएफएससीए और जीआईएफटी सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई हैं। जीआईएफटी आईएफएससी अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक आउटरीच के भाग के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, दुबई, आयरलैंड, हांगकांग, जापान, मलेशिया आदि के वित्तीय सेवा उद्योग के साथ गोलमेज बातचीत और सेमिनार आयोजित किए गए हैं। जीआईएफटी आईएफएससी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से। जीआईएफटी आईएफएससी (वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक) जीएफसीआई 32 रिपोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय दावेदार होने से जीएफसीआई 33 रिपोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बन गया है। जीआईएफटी आईएफएससी उन 15 केंद्रों की सूची में बना हुआ है**,** जिनके अगले 2-3 वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण बनने की संभावना है। इसके अलावा**,** नियामक जीआईएफटी आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए सूचनाओं के पारस्परिक		

			आदान-प्रदान में सहायता करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए विश्व स्तर पर प्रमुख वित्तीय प्राधिकारियों / मानक व्यवस्थापन निकायों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है। आज की तारीख में आईएफएससीए ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयूएस) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, आईएफएससीए ने दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण (डीएफएसए), कतर वित्तीय सेवा प्राधिकरण (क्यूएफसीए), कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ) लक्जमबर्ग, फाइनेंसिन्सपेक्टिओन (एफआई) स्वीडन, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए है। ग. जीआईएफटी सिटी ने विकास के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गिफ्ट सिटी में व्यावसायिक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रासंगिक कौशलय प्रदान करने के लिए समझौता किया है |भारत में फिनटेक शिक्षा और अनुसंधान की पहुच को विकसित करने और इस उभरते क्षेत्र में कुशल पेशेवर प्रदान करने के लिए गिफ्ट सीटी में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिनटेक अनुसंधान और नवाचार संस्थान विकसित करने हेतु गिफ्ट सीटी एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, विदेशी विश्वविद्यालयों को आईएफएससी प्राधिकरण द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में अनुसंधान कार्यक्रम सहित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गिफ्ट सिटी में अपने अंतरराष्ट्रीय संस्थान परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ये पाठ्यक्रम वित्तीय सेवाओं के स्वरूप के हैं जिनकी परिकल्पना विभिन्न वित्तीय उत्पादों/वित्तीय सेवाओं के निर्माण और विकास में सहायता के लिए की गई है जो जीआईएफटी आईएफएससी में वित्तीय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए अत्यधिक विशिष्ट मानव संसाधन की क्षमता में वृद्धि करेगी। . घ. भारत के विमान पट्टे के केंद्र के रूप में उभरते हेतु जीआईएफटी आईएफएससी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: • वित्त अधिनियम 2023 में विश्व स्तर पर अग्रणी वित्तीय केंद्रों के बराबर नियामक ढांचे और कर संरचना का प्रावधान अधिसूचित किया गया है • भारत में सभी सीमा-शुल्कबद्ध हवाई अड्डों को आईएफएससी में पट्टादाताओं द्वारा विमानों के आयात/निर्यात के लिए अधिसूचित किया गया है • गिफ्ट सिटी में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए अग्रणी विमान पट्टे और वित्तीय फाइनेंसिंग संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए भारत और विश्व स्तर पर गोलमेज वार्ता सम्मेलन और सेमिनार सहित प्रचार गतिविधियां आयोजित की गई हैं।		

			उपरोक्त क्षमताओं के मद्देनजर, 31 मई 2023 तक, इक्कीस संस्थाओं ने विमान पट्टे पर देने का व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण कराया है।		
13	13	**समिति ने नोट किया है कि बजट 2023-24 में वित्तीय सूचना के केंद्रीय निक्षेपागार के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) की स्थापना, ऋण के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव किया गया है। समिति समझती है कि एक व्यापक वित्तीय सूचना प्रणाली सूचना विषमता को दूर करेगी, उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता का आकलन करने की लागत को कम करेगी और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करेगी। समिति को अवगत कराया गया है कि मौजूदा वित्तीय सूचना प्रणाली खंडित, अपूर्ण और अक्षम है और एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध नहीं है और एनएफआईआर की स्थापना से ऋण वितरण प्रणाली में सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र और वंचित आबादी के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी। समिति की इच्छा है कि एनएफआईआर की स्थापना में तेजी लाई जाए, जिससे सभी वित्तीय सूचनाओं को समेकित करने में मदद मिलेगी, जबकि देश में वित्तीय समावेशन और एमएसएमई क्षेत्र के निर्वाह की दिशा में सरकार के जोर को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास पथ पर अग्रसर होगी।**	वित्तीय सूचना के केंद्रीय निक्षेपागार के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगी। एक नया विधायी ढांचा इस वित्तीय सूचना बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई सहित सभी हितधारकों के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा। सरकार संसद में यथाशीघ्र पुरस्थापित करने के लिए एनएफआईआर संबंधी विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय कर रही है। एनएफआईआर को स्थापित करने और संचालित करने के लिए आगे की कार्रवाई संसद द्वारा कानून के अधिनियमन के बाद की जाएगी।	स्वीकृत	हितधारकों के परामर्श से एनएफआईआर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Annexure

Statement showing Action Taken on the recommendations/Observations contained in the 54th Report of the Standing Committee on Finance(17th Lok Sabha) presented in Lok Sabha/laid in Rajya Sabha on 23 rd March,2023.

S. No.	Recommend-ation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
1	1	**The Committee upon scrutiny of Demand No. 32 relating to Department of Financial Services seeks to co-relate between Budget Estimates (BE), Revised Estimates (RE) and Actual Expenditure incurred. As against RE (2022-23) of Rs. 6303.42 crore which was decreased from BE (2022-23) of Rs.7174.77 crore, the actual expenditure for Financial Year 2022-23 as on 31.01.2023 by the Ministry is just Rs.711.41 crore. Further, BE (2023-24) stands at Rs.1374.66 crore i.e., has declined substantially by Rs.5800.11 crore from the previous BE (2022-23) of Rs.7174.77 crore. Some of the reasons furnished by the Department for change in RE (2022-23) i.e., a reduction of Rs.871.35 crore over BE (2022-23) include reduction in subscription to the share capital of NABARD, loans for settlement of claims on invoking guarantee given by Government under partial credit guarantee scheme, credit guarantee scheme for Micro Finance Institutions etc. Furthermore, some of the reasons for change in BE (2023-24) vis-à-vis BE (2022-23) furnished include sufficient funds for subscription to the share capital of NABARD, subscription to share capital of Export Import Bank of India, contribution of Government's share for recapitalization of Regional Rural Banks (RRBs), financial support to NCGTC for credit guarantee fund etc. The Committee would like to point out that the Department still has about Rs.5592.01 crore i.e., 88.71% of RE (2022-23) as on 31.01.2023 which remains unutilized with just two months to go for the financial year. The Committee would further urge the Department to ensure allocated amounts to be efficiently utilized by institutions such as NABARD, EXIM Bank and that diligent and efficient disbursement be undertaken for various schemes under the Department.**	The total Budget Estimate for the year 2022-2023 for the Department was Rs.7,436.92 crore and Revised Estimate was Rs.6303.42 crore, out of which an amount of Rs.3,337.72 crore was spent and the remaining amount was surrendered. The shortfall in expenditure was, inter-alia, mainly in 2 heads due to the following reasons: - Based on an assessment of the requirement of capital by the institution, it was decided to not release Rs.1500 crore as subscription to the share capital of Exim Bank and Rs.1361 crore could not be released in respect of recapitalisation of Regional Rural Banks as respective State Governments and sponsor Banks had not contributed their share. The recommendation of the Committee to ensure efficient utilization of allocated funds by institutions like NABARD, EXIM Bank have been taken up within the Department to ensure future compliance.	Yes	-

2	2.	**The Committee note that out of the BE (2022-23) of ₹ 7,50,246 crores as on 02.02.2023, the actual expenditure has been ₹ 5,93,099 crore i.e., a sum of ₹ 1,35,175 crore remains from the revised estimate (2022-23) of ₹ 7,28,274 crores. The budget estimate for the current financial year 2023-24 has been put at ₹ 10,00,961 crore i.e., an increase of ₹ 2,50,715 crore from the previous BE (2022-23) of ₹ 7,50,246 crore which in itself was a sharp jump of 35.4% in capex from its previous budget estimate.** **The Committee is given to understand that a capex thrust in the last two budgets of the Government has led to a pick-up in and crowding in of private sector investment since FY 2022 as per the Axis Bank Capex Report. In this regard, the Committee feel that there is a need for historical private sector capex data from official government sources and would thus recommend that the Ministry must collate and publish valid historical private sector capex data by industry and region on its own for an objective analysis. In addition, MoSPI or NITI Aayog should conduct forward-looking surveys on private sctor capex investment intentions by industry and region to understand future trends. These types of surveys will also help various suppliers prepare better for equipment, real estate, and workforce requirement associated with private sector capex.** **Furthermore, the Committee desire that it should be ensured that the budget allocation set aside for capital expenditure is met efficiently by both centre and states, as investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. The Committee believe that the rise in capital expenditure would help achieve the objective of growth, job creation and being a cushion against global headwinds as one of the primary engines driving up consumption and leading the economy into a virtuous growth cycle.**	1. Capital investment outlay has increased to about ₹10 lakh crore in BE 2023-24, which is about 33 per cent higher than capital outlay in BE of the previous FY 2022-23. This is around 3.3 per cent of GDP and almost three times the outlay in 2019-20.This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd- in private investments, and provide a cushion against global headwinds. 2. Out of capital outlay of about ₹10 lakh crore in BE 2023-24, allocation of ₹1.30 lakh crore is for providing Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure. This is being provided as 50-year interest free loan to state governments to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions. Approx. 90 per cent of balance ₹ 8.7 lakh crore is for major key infra and strategic Ministries/Departments such as Road Transport and Highways, Railways, Defence, Housing (especially for MRTS and Metro Projects.), Telecom, Atomic Energy, Space etc. 3. For FY 2022-23, provisional figure of actual expenditure incurred on capital account is ₹ 7,36,319 crores as against RE of ₹ 7,28,274 crores. For FY 2023-24, the capital allocation has been provided after due assessment of requirements of various sectors in consultation with stakeholder Ministries/Departments. Therefore, it is expected that actual capital expenditure will be in line with the allocation. 4. Historical private capex data by industry are available with the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) in the statement titled '**Gross** Capital Formation by industry of use' and 'GFCF by type of asset, by industry - Private Corporations' as part of the National Accounts Statistics Report. This annual data is published once a year (historically available till FY 2021-22) and can be downloaded from the MoSPI website- https://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2023 This data, annually published by MoSPI, can be used for the purpose of capturing private sector capex	Government has accepted recommendation regarding efficient utilization of budgeted capital outlay.	Government is closely monitoring progress of capital expenditure during the year in order to ensure full utilization of budgeted capital outlay. MoSPI annually publishes historical data of private capex by Industry, as indicated in column 4. The next update of private capex data from MoSPI will only be available in 2024, as part of their National Accounts Statistics Report 2024
3	3	**National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)** **The Committee note that National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) is a fund manager established as category II Alternative Investment Fund (AIF) under the SEBI regulations. It acts as a platform for both national and international investors with the goal of investing equity capital in domestic**	NIIF was set up with the objective of maximizing economic impact mainly through infrastructure development in commercially viable projects while also considering other nationally important projects, if commercially viable. NIIF Master Fund has created various platforms like ports and logistics, renewable platform, roads, smart meters, data centers and has recently invested in the airports sector as well. Post its final close in December 2020 the focus of Master Fund is presently on ensuring timely deployment of committed funds.	As clarified in the previous column, the proposal is not contemplated through NIIF as of now.	

		economic and social infrastructure and has three types of funds viz. National Investment and Infrastructure Fund (Master Fund "NIIF MF"), National Investment and Infrastructure Fund (Fund of Funds-I "NIIF FoF") and National Investment and Infrastructure Fund–II (Strategic Opportunities Fund "SoF"). The Committee observes that in NIIF Fund of Funds-I, Rs.2215 crore has already been deployed out of the Rs.3862 crore fund's portfolio commitments. The Committee desire that the performance of Master Fund of NIIF should be enhanced since as on December 31,2022, only Rs.4177 crores have been deployed, while investor commitments to fund and fund's portfolio commitments stand at Rs.15998 crore and Rs.9653 crore respectively. Needless to emphasize, the NIIF has an essential role in economy building with the objective to generate attractive long-term risk adjusted returns for investors on a sustainable basis and maximize the economic impact through infrastructure development. To that end, NIIF can facilitate the development of GIFT City as an aircraft leasing hub for India as well.	As regards role of NIIF in facilitating the development of GIFT City as an aircraft leasing hub for India, it may be noted that aircraft leasing is a very niche and specialized domain of financial services. The growth of such specialized financial services requires a thorough understanding of this ecosystem, a dedicated team of professionals who have experience in this domain, and clarity on the risks that it entails. Enabling large scale catalytic private sector financing for India's Infrastructure and Allied sectors is the primary objective of NIIF. Given the peculiarities of aircraft leasing a financial service and its nascent stage of development in the Indian context, investment in the same is not contemplated through NIIF as of now.		
4	4	**"The Committee believe that green climate financing is the need of the hour and clarity on taxonomy for green finance should be given top priority as 'green growth' is a key pillar of the Government's economic vision. The Committee desire that blended finance instruments should be deployed by financial institutions in the field of green financing and climate investment as blended finance holds the potential to catalyse private finance in high risk, long gestation projects. Further, the Committee understand that Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Reserve Bank of India (RBI) are engaging with the International Sustainability Standards Boards (ISSB) for standards to be issued on sustainable finance and climate finance. The Committee understand that even the Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) have to support for sustainability, which might be too much of an obligation on financially fragile MSMEs. The Committee therefore desired that RBI and SEBI should pursue the matter with ISSB so that pertinent issues of developing economies are flagged and taken into consideration by ISSB while formulating the standards for sustainable finance and climate finance."**	1. It is submitted that the ISSB on June 26, 2023 has issued its two sustainability Disclosure Standards namely: a. IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and b. IFRS S2 Climate-related Disclosures 2. Both RBI and SEBI have effectively engaged with ISSB before these standards were issued and have taken up various issues pertaining to emerging markets and developing economies (EMDE), including India. Therefore, the suggestions of EMDE have been considered favourably by the ISSB broadly in the latest disclosure standard documents. 3. SEBI have taken up the issues at various fora including IOSCO and emphasized that each jurisdiction should have the flexibility to decide the scope and applicability of the ISSB standards, so as to ensure that obligations are imposed on entities above a certain size and with requisite capabilities. **4.** Thus, ISSB has introduced certain elements of "proportionality" and "transition reliefs" while notifying the final standards. Further SEBI reportedly mentioned that ISSB will be issuing an adoption guidance tentatively by November 2023 giving additional flexibility on adoption of the Standards by jurisdictions, depending on their individual circumstances. It is said that ISSB will further work with jurisdictions and companies to support the adoption of the standards. 5. RBI reportedly mentioned that ISSB has introduced specific proportionality mechanisms, which include:	Government has taken note of the same and will ask the regulators to continue their positive engagement with ISSB to get the best out of the adoption guidance.	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>a. the consideration of a company's skills, capabilities and resources.
b. the use of all reasonable and supportable information that is available to the company at the reporting date without undue cost or effort in some situations.
6. SEBI has also taken various steps to cater to the increasing demand for sustainable finance:
a. The definition of "green debt securities" has been prescribed in the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, which includes, blue bonds, yellow bonds and transition bonds.
b. The disclosure requirements for such issuances have been revised by SEBI in February, 2023.
c. Further, to address the concerns of market participants regarding greenwashing (misleading or unsubstantiated claims about sustainability of a product, service or business operation), guidelines relating to green debt securities to avoid occurrences of greenwashing have also been laid down.
d. SEBI has recently prescribed additional norms for issuance and listing of 'transition bonds', inter-alia, disclosures to the stock exchanges and in the annual report. This is in line with India's Intended Nationally Determined Contributions, thereby enabling a framework to provide for transition to a more sustainable form of operations.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>The Committee are concerned about the financial health of General Public Sector Insurance Companies, as despite measures such as focusing on pursuing profitable business including motor and health portfolio, improving risk management practices, monetizing the commercial and residential assets not in use, modernizing and upgrading IT systems, capital infusion etc., the desired results do not seem to be appearing. The solvency position of three major Public Sector General Insurance Companies (PSGICs) namely National Insurance Co. Limited, United India Insurance Co. Limited and Oriental Insurance Co. Limited is still strained.</td><td>The public sector general insurance companies namely National Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited and Oriental Insurance Company Limited have taken various measures to improve their performance such as reducing their expenses, improving their underwriting practices etc. These initiatives have resulted in positive impact as under:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Description</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Reduction in Expenses of Management by reduction in controllable expenses</td><td>FY22-23: 20.3%
FY21-22: 26.6%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Reduction in Combined ratio</td><td>FY22-23: 128.8%
FY21-22: 138.1%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Improvement in Underwriting results</td><td>FY22-23: -12,100 Cr
FY21-22: -14,055 Cr</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Reduction in Losses</td><td>FY22-23: -3,731 Cr
FY21-22: -6,926 Cr</td></tr>
</table>
Note: Without impact of Wage revision</td><td>Yes.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>6</td><td>The Committee are concerned that with the tweaks in the slabs and rates in the New Tax Regime, there might be a decline in life insurance penetration in the country as a major chunk of the population invests in life insurance products as tax saving instruments, which is also the most important source of loanable</td><td>As per the budget announcement 2023, income from traditional insurance policies whose single premium is over ₹5 lakh will no more be exempt from taxes. It may encourage more people to buy pure risk covers i.e. term plans, which are highly affordable and provide adequate protection in the event of eventualities. It may also stimulate innovation and competition in the insurance sector, as insurers will</td><td>Yes</td><td></td></tr>
</table>

		/investment fund in the economy. The Committee also urge that a comprehensive study be undertaken to evaluate the impact of opening up of the insurance sector, so that any changes, if needed, can be made to the Act governing the insurance sector.	have to offer more attractive and customized products to retain and attract customers. With regard to impact of opening of the insurance sector, it is informed that since the opening up this sector for private and foreign investment in the year 2000, the number of participants in the insurance industry has gone up from seven insurers to sixty-eight insurers as on March 31, 2021 operating in the life, general, and reinsurance segments. Insurance penetration which was 2.71 per cent in 2001 has steadily increased to 4.2 per cent and the insurance density in India which was USD 11.5 in 2001, reached to USD 91 in 2021. Premium received has been increased from ₹3.94 lakh core in the financial year 2013-14 to Rs. 9.17 lakh core in the financial year 2021-22 in the Indian insurance sector. (Source: IRDAI) Further, the Government has taken various initiatives to support the growth of the insurance sector and enhance insurance coverage, especially for the underserved and unserved population of the country, through its flagship social security insurance schemes namely, the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) covering approximately 16.57 crore lives and the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) covering approximately 34.97 crore lives for life and accident respectively, as on 14.6.2023. In order to bridge the gap in insurance protection and coverage and in fulfilment of the Prime Minister's vision to insure every eligible citizen of the country, efforts are being made to maximize the coverage of the eligible population under PMJJBY& PMSBY in a mission mode. The insurance regulator IRDAI is also bringing in reforms to create a new regulatory architecture to promote 'Insurance for All' by 2047, which envisions a prosperous and inclusive India with universal insurance coverage.		
7	7	**The Committee observe that the Non-Performing Assets (NPAs) have been declining and that a well-capitalized banking system with a low NPA ratio and more robust corporate sector fundamentals will continue to enhance the flow of bank credit into productive investment opportunities. However, the Committee observe that the figures of credit-to-deposit ratio of Scheduled Commercial Banks (SCBs) made available to the Committee demonstrate uneven credit disbursal across the country, with the economically backward and geographically difficult terrain states/regions lagging behind in availability and extension of bank credit. The Committee urge that strategies and policies for the banking sector should be formulated in a fashion so as to address this gap.**	Reserve Bank of India (RBI) has advised the banks to achieve a Credit Deposit Ratio (CD) Ratio of 60% in respect of their rural and semi-urban branches separately on all India basis. Banks are also advised to ensure that wide disparity in the ratios between different States/Regions is avoided in order to minimise regional imbalance in credit deployment and banks may review the performance of their branches in such areas and take necessary steps to augment the credit flow. Further, Lead Bank of the district may discuss the issue of low CD ratio in all its aspects with the banks and also in the District Consultative Committee (DCC) forum. Special Sub-Committees (SSCs) of the DCC should draw up Monitorable Action Plans to increase the CD Ratio in the districts having CD Ratio of less than 40% and to report the progress on the implementation of the plan to DCC on a quarterly basis and through them to the convenor of the State Level. As per RBI, to address regional disparities in the flow of priority sector credit at the district level under Priority Sector Lending Guidelines, a study of district wise per capita credit flow to priority sector was undertaken in 2020 and accordingly from FY 2021-22 an incentive framework was devised. Districts were ranked on the basis of per capita credit flow to priority sector and build an incentive framework for districts with comparatively lower flow of credit and a dis-incentive framework for districts with comparatively higher flow of priority sector credit. In terms of *Master Directions – Priority Sector Lending (PSL) – Targets and Classification dated September 4, 2020*, a higher weight (125%) has	Yes	

			been assigned to the incremental priority sector credit in the identified districts where the credit flow is comparatively lower (per capita PSL less than ₹6000), and a lower weight (90%) has been assigned for incremental priority sector credit in the identified districts where the credit flow is comparatively higher (per capita PSL greater than ₹25,000).		
8	8	**The Committee notice that Central fund transfers for food subsidy in decentralized procurement of food grains is a pain point for some States. The Committee desire that such disbursement issues be resolved so that seamless flow of funds to the States is maintained under various central schemes.**	**Comments of D/o Food & Public Distribution:** DFPD has continuously released the admissible food subsidy to all DCP States. State Governments quarterly submits food subsidy claim for distribution of food grains under TPDS/OWS schemes. The provisional quarterly claims of State Governments are processed keeping in view prevalent guidelines and principals, among others. This is on-going and continuous process and Department of Food and Public Distribution, Government of India has been continuously releasing quarterly admissible amount of Food Subsidy to all the DCP States. Subsidy released to all DCP States in FY 2021-22 Rs. 79,789.54 crore including Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojna (PMGKAY) and in FY 2022-23 Rs. 72,282.50 crore including PMGKAY.	Not Applicable	This is a general observation and not a specific recommendation. Funds towards food subsidy are being released to DCP States regularly. However, if there is any issue, the same is resolved amicably regularly by the department in consultation with the State Government.
9	**9**	**The Committee note the actual receipts of Rs. 13,534 crore as against the target (Revised Estimates) of Rs. 78,000 crore for Financial Year 2021-22 and receipts of just Rs. 31,107 crore (as on 10.02.2023) against target of Rs. 50,000 crore for Financial Year 2022-23. The Committee are informed that the gap between target and achievement is inherent in the nature of disinvestment which is a function of market conditions. The Committee take note of the more achievable scaled down targets under volatile market conditions.**	Disinvestment is an ongoing process, and execution/completion of specific transactions hinges upon market conditions, domestic & global economic outlook, geopolitical factors, investor interest and administrative feasibility. A very high target leads to price overhang in PSU stocks, therefore, progressively targets have been reduced to more pragmatic levels, given very volatile market conditions during the last three years. The disinvestment receipts of CPSEs for FY 2022-23 stood at Rs. 35,293.52 crore (as on 31.03.2023) against the target/RE of Rs.50,000 crore. Budget Estimate for disinvestment receipts from CPSEs for FY 2023-24 has been kept at Rs. 51,000 crore.	Accepted	
10	**10**	**The Committee are informed that a Special Purpose Vehicle (SPV) for monetization of fixed assets of Central Public Sector Enterprises (CPSES) has been incorporated. The Committee desire that an assessment of the market value of land amongst Central Public Sector Enterprises under the Special Purpose Vehicle be undertaken. The Committee feel that it is essential to have a sense of the value of these significant assets of the Government, as they possess major monetization opportunity. The Committee suggest selling the land at a higher cost after developing the land, rather than just settling for the land value, as the enhanced value holds the potential to aid the economy, given the current fiscal situation and the significant land holdings possessed by the Government. Further, the Committee desire that amicable solutions be reached with the State**	A Web Portal for online land management system was developed in the year 2016 by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) with the support of MeitY known as Government Land Inventory System (GLIS) wherein details/data of land of the all-landowning agencies Ministries/Department/CPSUs are uploaded. This mechanism collates relevant information on the land holdings possessed by the above-mentioned authorities. Further, the Government has set up National Land Monetization Corporation (NLMC) in June 2022 as a 100% government-owned company to undertake monetization of surplus and underutilized non-core assets of Central Public Sector Enterprises (CPSES) and other Government agencies. NLMC is required to undertake such monetization on the recommendations of the concerned Administrative Ministry Department. Upon recommendation, technical advisors/consultants/experts would carry out due diligence of the assets in consultation with various stakeholders including the asset owner. Based on the feedback received, nature of land/asset referred, appropriate model of monetization and accordingly its valuation would be adopted. Finally, Alternative Mechanism (AM) comprising of Union Finance Minister, Minister of Road Transport and Highways and Minister of the	Partially Accepted	One of the suggestions of the committee is selling the land at a higher cost after developing the land rather than just settling for the land value. This may not be feasible in respect of every land parcel, since the land could also be developed by the buyer or concessionaire.

		Governments with regard to conflicted landholdings and the Special Purpose Vehicle be utilized in an efficient manner.	concerned respective Administrative Ministry would decide the appropriate model of monetization and the valuation for its monetization. In respect of assets referred to NLMC for monetization, NLMC will closely coordinate with all stakeholders including State Governments/agencies as per requirement.		
11	**11**	**"SOCIAL SECTOR: The Committee would like to press on the need for sufficient funds for improving social sector financing in India. The Committee are of the view that improving social sector financing in India requires a multi-faceted approach that involves government policies, private sector engagement, and international cooperation. The Committee feel that by adopting strategies such as encouraging impact investing in India's social sector, crowdfunding for the social sector initiatives, encouraging more companies to engage in Corporate Social Responsibility (CSR), Public-Private Partnerships (PPP) and working with international organizations to secure more aid funding along with enhanced Government spending, the country can mobilize more finances for the social sector uplifting the lives of the citizens."**	**CSR funds for social sector** a) Section 135 of the Companies Act, 2013 ('Act'), Schedule VII of the Act and Companies (CSR Policy) Rules, 2014 mandates every company having net worth of ₹500 crore or more, or turnover of ₹1000 crore or more, or net profit of ₹5 crore or more during the immediately preceding financial year, to spend at least two per cent of the average net profits of the company made over immediately preceding three financial years towards eradicating hunger, poverty, and malnutrition, promoting health care, education, employment, enhancing vocational skills, etc as per the CSR Policy of the Company. b) Since legislation mandated CSR w.e.f. April 2014, companies have spent about ₹1.27 lakh crores on CSR up to 2020-21. The number of companies contributing to CSR as well as their annual CSR expenditure has increased during the period 2014-15 to 2020-21. It has been observed that some companies are making contributions in excess of their mandatory two per cent obligation, and have thus taken an active part in contributing towards socio-economic development of the country. During Covid-19 pandemic period, many companies have generously contributed and engaged with the community. c) Further the Ministry of Corporate Affairs in order to encourage more companies to engage in CSR, and to recognize the corporates' outstanding CSR initiatives that may have positive impacts on both businesses and society, has instituted the National Corporate Social Responsibility Awards in 2019 in order to increase competition in various categories of companies to infuse excellence in their CSR activities so that the benefits of their activities reach the marginalized sections of society and in remote areas of the country. Under this scheme, twenty awards (Winners and Honourable Mentions) are given to companies in three broad categories i.e. Corporate Awards for Excellence in CSR, Corporate Awards in CSR in Challenging Circumstances and Corporate Awards based on contribution to National Priority Areas such as education, health, women & child development, etc. **Budgetary allocations for social sector** d) The Budgetary allocations to various social sector Ministries/Departments are based on the detailed discussions on each of their schemes during pre-budget discussions with the Ministry of Finance that are held in October-November every year. The absorptive capacity of the concerned Ministry/Department and the availability of resource with the Government is also taken into account, while allocating budget to these Ministries/Departments. The details of allocation to Education, Health,	Yes	

Rural Development, Transport and Energy sectors which are key social indicators of development over the last five years is given as under:

(in ₹ crores)

S. No	Sectors	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Education	94854	99312	93224	104278	112899
2	Energy	44638	42725	42824	49220	94915
3	Health	64999	67484	74602	86606	88956
4	Rural Develop-ment	140762	144817	194633	206293	238204
5	Social Welfare	50850	53876	48460	51780	55080
6	Transport	157437	169637	233083	351851	517034
7	Urban Develop-ment	48032	50040	54581	76549	76432

Source: Budget Division, DEA, Ministry of Finance

The details of allocations across different social sectors indicate an increasing trend over the last five years, with one or two sectors showing slight decrease in their allocation during 2020-21 and 2021-22 due to COVID-19 pandemic.

e) **Measures announced in Budget 2023-24**

- The Budget 2023-24 has "Inclusive Development" as one of its priority areas and has incorporated many measures to ensure this goal. These, inter-alia, include several initiatives for the agriculture sector (such as digital public infrastructure for agriculture; Agriculture Accelerator Fund; focus on cotton crop and horticulture; making India a global hub for millets; enhanced agriculture credit target etc); skilling, health, and education.

- The Budget has launched Pradhan Mantri PVTG Development Mission to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) and saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. The outlay for PM Awas Yojana has also been enhanced by 66 per cent to over ₹ 79,000 crore.

- Further, recognizing that the investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment, the

Capital investment outlay has been increased by 33 per cent to ₹ 10 lakh crore, which would be 3.3 per cent of GDP and almost three times the outlay in 2019-20.

This substantial increase in recent years will help enhance growth potential and job creation, crowding in private investments, and provide a cushion against global headwinds.

Funding from International Development Institutions

f) India has been effectively engaging and participating in the Multilateral Development Banks (MDBs) including Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), New Development Bank (NDB), *International Fund for Agriculture Development (IFAD*), resulting in significant financings for India for the sustainable infrastructure including social infrastructure development across the States.

g) India plays a key role in the Governing Council and Executive Board of the IFAD. India's representation has been successful in receiving funds from IFAD for projects in various sectors including social sector such as projects on rural development, tribal development, women's empowerment, and micro-finance for uplifting the lives of our citizens. Since 1979, IFAD has assisted in 32 projects in the agriculture, rural development, tribal development, women's empowerment, natural resources' management, and rural finance sector. Out of these, 26 projects have already been closed. Presently, 6 projects with a total IFAD assistance of USD 408.9 million (approx.) in the State of Uttarakhand, Maharashtra, Odisha, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, and Chhattisgarh are under implementation, with a total commitment (i.e., IFAD's assistance and State counterpart funding) of USD 1,507.37 million (approx.).

h) Government of India is also mobilizing more finance from AIIB and NDB for providing financial assistance to social infrastructure projects in India. During the recent pandemic, Government of India has obtained budgetary assistance of USD 2000 million for two Social Sector projects from NDB for combating CoVID-19. Both Projects has been closed. Further, the Government has also obtained budgetary assistance of USD 2250 million (04 projects) from AIIB under Social Sector Investment Projects for creating a responsive Indian Social Protection System Program and for preparedness of our health system to combat the pandemic such as CoVID-19. Out of them two projects have already been closed and two projects is still ongoing. In addition, AIIB has also approved 500 million financial assistances, in 2022, for modernization of technology and Education Infrastructure in Gujarat.

			Viability Gap Funding i) The Department of Economic Affairs (DEA) launched Viability Gap Funding (VGF) scheme for providing financial assistance to financially unviable but socially/ economically desirable PPP projects. Under this scheme, economic sector projects may get up to 40 per cent of the Capex as VGF grant. The VGF Scheme includes higher provisions of VGF grant for social sectors i.e., Health, Education, Water Supply, Waste Water Treatment, Solid Waste Management, etc. Social sector projects may get up to 80 per cent of the Capex and upto 50 per cent of Opex for 5 years after Commercial Operation Date (CoD) as VGF grant. Social Sector projects get VGF grant under following two categories: • **Sub scheme -1** to cater to Social Sectors such as Wastewater Treatment, Water Supply, Solid Waste Management, Health & Education sectors etc. The projects eligible under this category should have at least 100 per cent Operational Cost recovery. The Central Government will provide maximum of 30 per cent of Capex of the project as VGF and State Government/Sponsoring Central Ministry/Statutory Entity may provide additional support up to 30 per cent of Capex. • **Sub scheme -2** supports demonstration/pilot social sectors projects. The projects may be from Health & Education sectors. The projects eligible under this category should have at least 50 per cent Operational Cost recovery. The Central Government will provide a maximum of 40 per cent of the Capex of the Project and a maximum of 25 per cent of Opex (operational expenditure) of the project for first five years of commercial operations as VGF. The State Government/Sponsoring Central Ministry/Statutory Entity may provide additional support up to 40 per cent of the Capex of the Project and upto 25 per cent of Opex of the project for first five years of commercial operations.		
12	**12**	**The Committee note that various measures to enhance business activities in GIFT IFSC have been undertaken by the Government in recent times. The Committee believe that the success of the GIFT City depends upon the Government's ability to create a support environment that attracts businesses and investors. The Committee feel that in addition to developing world class infrastructure and offering incentives to businesses, it is essential to establish regulatory framework which is easy to understand and comply with; aggressively market GIFT City to international investors and businesses at various international fora; foster a supportive ecosystem and develop a local workforce with requisite skills to work in the GIFT city to support its growth. The Committee are confident that GIFT City, which holds the potential to become a vibrant global financial hub for domestic and international entities, will contribute to**	Point wise Action Taken with respect to the recommendations made by the Hon'ble Committee with respect to GIFT City at Para 12 of Part II of the Report may be seen as follows – A. The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was established with effect from April 27, 2020 by the Government of India under the IFSCA Act, 2019. Subsequently, with effect from 1st Oct 2020, it assumed the powers of four domestic regulators namely SEBI, RBI, IRDAI & PFRDA to develop and regulate the financial markets in the IFSCs in India. Over the last three years, IFSCA has endeavored to develop a regulatory architecture for IFSCs, which is aligned to international best practices and also has ease of understanding for enhanced compliance. IFSCA has since its inception come up with 27 Regulations to regulate Banking, Capital Markets, Insurance, Bullion, Fund Industry, Global In House Centers, Foreign University/foreign institutions etc. within IFSC. IFSCA being a unified Authority for IFSCs in India, has undertaken consolidation of domestic regulations to a large extent pertaining to Insurance, Fund Industry, Capital Markets etc., which is unique in the Indian regulatory architecture. For example, IFSCA has carried out	Accepted	**NA**

		our growth story in a major way. With the large aircraft orders being undertaken by India's airlines, GIFT City has an excellent opportunity to emerge as India's aircraft leasing hub.	a consolidation of almost 40 IRDAI regulations pertaining to domestic regulatory set up into a set of 13 regulations for regulating Insurance business at IFSC. Similarly, IFSCA's Fund Management Regulations are reflective of a consolidation of SEBI's regulation pertaining to AIFs, Mutual Funds, ReITs, InVITs, PMS etc. Additionally, IFSCA has also issued Frameworks for Ancillary Services, FinTech Sector, Aircraft and Ship Leasing, International Trade Financing Services, Sustainable Finance, AML/CFT Guidelines etc. to aid and assist business at India's maiden IFSC. B. IFSC Authority has established a Development Department for undertaking various outreach and engagement activities with global and domestic financial services industry. Additionally, GIFT Co. Ltd., which is the developer of GIFT City including the IFSC zone, is also supporting the global outreach and engagement activities. The outreach and engagement activities include bilateral meetings, road-shows, roundtable interactions, webinars, seminars, conferences, etc. carried out by IFSCA and GIFT City Co Ltd. As part of global outreach to showcase GIFT IFSC opportunities, roundtable interactions and seminars have been conducted with financial services industry from United States of America, United Kingdom, Singapore, Dubai, Ireland, Hong Kong, Japan, Malaysia, etc. with intent to increase awareness about IFSC at GIFT City. GIFT IFSC has moved from being an International Contender in (Global Financial Centres Index) GFCI 32 Report to an International Specialist in GFCI 33 Report. GIFT IFSC continues to remain in the list of 15 centers likely to become more significant in next 2-3 years. Further, the regulator has been continuously engaging in deliberations with a host of globally prominent financial authorities/ standard setting bodies for signing of Memorandum of Understandings (MoUs) in order to aid mutual exchange of information for the development of financial products and services in GIFT-IFSC. As on date IFSCA has signed Multilateral Memorandum of Understanding (MMoUs) with International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Additionally, IFSCA has also entered into bilateral MoUs with Dubai Financial Services Authority (DFSA), Qatar Financial Services Authority (QFCA), Commission De Surveillance Du Secteur Financier (CSSF) Luxembourg, Finansinspektionen (FI) Sweden, Monetary Authority of Singapore (MAS) C. GIFT City has tied up with various universities and educational institutions to develop relevant skill sets to meet the requirements of business units at GIFT City. GIFT City is also working with Asian Development Bank for developing an International in Tech Research and Innovation Institute at GIFT City to improve the access of Fintech education and research in India and provide skilled professionals to this emerging sector. Further, foreign universities have been allowed to set up their international branch campuses at GIFT City to provide courses, including, research programmes inFinancial Management, FinTech, Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), by the IFSC Authority. These courses are in the nature of financial services that are envisaged to assist the design and development of various financial products/financial services which will augment the capacity of highly specialized human resource		

			for delivery of technology/financial services critical for sustaining the financial ecosystem at GIFT IFSC. D. Following steps have been taken to promote GIFT IFSC to emerge as India's aircraft leasing hub: • Provision of regulatory frameworks and tax structure at par with leading financial centres globally have been notified in the Finance Act 2023 • All custom bounded Airports in India have been notified for import/ export of Aircrafts by lessors in IFSC • Promotional activities including roundtable interactions, conferences and seminars have been held in India and globally to attract leading Aircraft Leasing and Financing entities to set up their units in GIFT City With the above enablers in place, as of 31st May 2023, twenty one entities have registered for undertaking aircraft leasing business.		
13	**13**	**The Committee note that the Budget 2023-24 seeks to set up the National Financial Information Registry (NFIR) as a central repository of financial information, facilitate the efficient flow of credit, promote financial inclusion and foster financial stability in the country.** **The Committee understand that a comprehensive financial information system will remove information asymmetry, reduce the cost of assessing the credit worthiness of borrowers and improve access to credit especially to the Micro, Small &** **Medium Enterprises (MSMEs). The Committee have been apprised that the existing financial information system is fragmented, incomplete and inefficient and not available through a single window and that the establishment of NFIR will improve the credit delivery system and result in increased credit flow especially to the MSME sector and the underserved population. The Committee desire that the setting up of NFIR be expedited, which will thus help consolidate all the financial information, while facilitating Government's push towards financial inclusion and sustenance of the MSME sector in the country, taking the Indian economy onto a faster growth trajectory.**	NFIR will be set up to serve as the central repository of financial information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this financial information infrastructure, and it will be designed in consultation with all the stakeholders including the RBI. The Government is coordinating with all stakeholders to finalise the NFIR Bill for introduction in the Parliament at the earliest. The further action to establish and operationalise the NFIR would be taken following the enactment of the law by the Parliament.	Accepted.	The NFIR Bill is being finalised in consultation with the stakeholders.